तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 13/2024 जीसीएमएस : 2024/35 प्रदीप सिंह आदि बनाम सुशील कुमार आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 आरटीएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
26.05.2025		

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वकील वादी विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद पत्र डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 01.04.2025 को वाद पत्र प्रारम्भिक डिक्री कर तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिए गए थे कि विवादित भूमि चक 33 जीबी तहसील श्रीविजयनगर खाता सं. 27 में दर्ज मु.नं. 7 व 8 की कुल 3.290है. नहरी मय खाला का वादीगण का उनके हिस्सानुसार अन्य सह खातेदारान से रास्ता एवं सिंचाई सुविधा के मध्यनजर किलेवाईज विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1671 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जिस पर अधिवक्ता वादी सहमति प्रकट करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही वाद पत्र अन्तिम डिक्री करने के लिए प्रार्थना की है। ऐसी स्थिति वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

लिहाजा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र तहसीलदार श्रीविजनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाकर संयुक्त खाता की विवादित भूमि चक 33 जीबी तहसील श्रीविजयनगर खाता सं. 27 में दर्ज मु.नं. 7 व 8 की कुल 3.290है. नहरी मय खाला का विभाजन किया जाकर वादीगण को निम्नांकित भूमि खातेदार घोषित किया जाता हैं :–

<u>वादी प्रदीप सिंह पुत्र रामसिंह 0.791है., सर्वजीत सिंह पुत्र रामसिंह 0.918है.</u> :– चक 33 जीबी प.नं. 188/414(7) कि.नं. 1ता5 का 1.265है. मय खाला तथा प.नं. 189/414(8) का कि.नं. 6/0.013, 7/0.013, 8/0.013, 9/0.013, 10/0.012, की कुल 0.064है. प्रत्येक उत्तरी पासा व 24/0.152पूर्वी पासा, 25/0.228 की 0.380है. कुल 1.709है.

उपर्युक्त भूमि पृथक खाता में वादीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज की जावे। शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम से यथावत संयुक्त खाता में रहेगी। अन्य अंकन भूमि की किस्म/प्रकृति व राहिन इत्यादि बदस्तुर रहेगा। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:37:01 IST
Reason: SelfAttested

...न्तला
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर